

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), झालावाड़

क्रमांक एफ2(1)रसद/एफपीएस/नवीन आवंटन/2025/ 7181

दिनांक 19.12.2025

—:आदेश:—

कार्यालय के आदेश क्रमांक 6058 दिनांक 28.11.2025 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले की तहसील झालरापाटन (झालावाड़ वार्ड 06 एफपीएस 2338)/पचपहाड (भवानीमण्डी वार्ड 18 एफपीएस 2906) (शहरी) क्षेत्र में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों पर नवीन आवंटन हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। निम्न रिक्त/नवसृजित दुकानों पर नवीन आवंटन हेतु विज्ञापित जारी कर उचित मूल्य दुकानों के नवीन आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसमें आवेदन वितरण कर वापस प्राप्त की अंतिम दिनांक 12.12.2025 थी, उक्त दोनो दुकानों हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से आवेदन वितरण एवं वापस प्राप्त करने की तिथि को दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ाया जाता है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

क्र. सं.	तहसील	एफपीएस दुकानदार का नाम	एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	झालरापाटन	झालावाड़ रिक्त वार्ड नं. 06	2338	अनारक्षित
2	पचपहाड	भवानीमण्डी रिक्त वार्ड नं. 18	2906	महिला आरक्षित

(अजय सिंह राठौड़)  
जिला कलक्टर (रसद)  
झालावाड़

क्रमांक एफ2(1)रसद/एफपीएस/नवीन आवंटन/2025/ 7182-93

दिनांक 19.12.2025

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट [food.rajasthan.gov.in](http://food.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करवाने हेतु
5. ए.सी.पी. डीओआईटी, वेबसाईट [jhalawar.rajasthan.gov.in](http://jhalawar.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करवाने बाबत् ।
6. माननीय सांसद महोदय, झालावाड़-वारां
7. माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन/डग
8. उपखण्ड अधिकारी झालावाड़/भवानीमण्डी को उनके कार्यालय में चरपा करने हेतु
9. तहसीलदार झालरापाटन/पचपहाड को उनके कार्यालय में चरपा करने हेतु
10. सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी को उनके कार्यालय में चरपा करने हेतु
11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झालावाड़ को आवश्यक प्रचार प्रसार बाबत् ।
12. प्रवर्तन निरीक्षक समरत.....झालावाड़
13. अन्य/रक्षित पत्रावली

19.12.2025  
जिला रसद अधिकारी  
झालावाड़